रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 17 अप्रैल, 1976
चैत्र 28, 1898 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1743/17-वि-1—173-75
लखनऊ, 17 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1976 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई० की धारा 5 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:—

(i) सम्बद्ध चीनी की फैक्टरी के दो प्रतिनिधि, जो अध्यासी द्वारा नामांकित किये जायेंगे;

(ii) पांच गन्ना उत्पादक जिनका निर्वाचन सुरक्षित क्षेत्र में कार्यशील गन्ना उत्पादक समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य उन व्यक्तियों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार करेंगे जो गन्ना आयुक्त द्वारा सुरक्षित क्षेत्र में पूर्ववर्ती तीन वार्षिक प्रतियोगिताओं में से प्रत्येक में प्रथम दस स्थान प्राप्त किये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि चुने जाने वाले पांच गन्ना उत्पादकों में से कम से कम दो गन्ना उत्पादक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उस वर्ष में जिसमें उक्त प्रतियोगिता हुई हो दो हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रफल में गन्ना की खेती नहीं की थी;

(iii) सुरक्षित क्षेत्र में, खंडसारी बनाने वाली लाइसेंस शुदा शक्ति चालित इकाइयों का एक प्रतिनिधि जो स्वामियों द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(iv) जिला गन्ना अधिकारी;

(v) गन्ना रक्षा निरीक्षक;

(vi) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत रीजनल केन डेवलपमेंट कारपोरेशन नामक कम्पनी का एक प्रतिनिधि जो उसके द्वारा नामांकित किया जायगा;

(vii) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक जो पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(3-क) परिषद् के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को जो सरकारी सेवक न हो, परिषद् का सभापति निर्वाचित करेंगे।";

(ख) उपधारा (4) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रख्यापन के पश्चात् गठित की जाने वाली प्रथम परिषद् का कार्यकाल केवल एक वर्ष होगा।"

नयी धारा 8—क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

परिषद् का अतिक्रमण

"8-क—यदि किसी समय राज्य सरकार का परिषद् के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन और कर्त्तव्य का पालन करने में जानबूझ कर व्यतिक्रम किया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा परिषद् का ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकती है, और अतिक्रमण की अवधि में परिषद् के कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसा प्रबन्ध करेगी जैसा वह उचित समझे।"

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 1743/XVII-V-1–173-75

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10, 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976 :

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 10 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 17, 1975.

Amendment of section 5 of U. P. Act no. 24 of 1953.

2. In section 5 of the U. P. Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(3) The Council shall consist of the following, namely :—

(i) two representatives of the sugar factory concerned, to be nominated by the occupier ;

(ii) five cane-growers from among persons, securing the first ten places in each of the preceding three annual sugarcane production competitions organised in the reserved area by the Cane Commissioner, to be elected by the members of the committees of management of the Cane Growers Co-operative Societies functioning in the reserve area according to the system of proportional representation by means of single transferable vote :

Provided that not less than two of the five cane-growers to be chosen shall be persons holding not more than two hectares area under sugarcane cultivation during the year in which the said competition was held ;

(iii) one representative of the licensed power-driven *khandsari* manufacturing units in the reesrved area, to be elected by their owners ;

(iv) the District Cane Officer ;

(v) the Sugarcane Protection Inspector ;

(vi) one representative of the company registered under the Companies Act, 1956, known as the Regional Cane Development Corporation, to be nominated by it ;

(vii) the Senior Cane Development Inspector, who shall be *ex officio* Member-Secretary.

(3-A) The members of the Council shall elect from among themselves a person, not being a Government servant, to be the Chairman of such Council." ;

(*b*) in sub-section (4), *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided further that the term of the first council to be constituted after the promulgation of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, shall be one year only."

Insertion of new section 8-A.

3. *After* section 8 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely—

Supersession of Council.

"8-A. If at any time, the State Government is, after taking into consideration the explanation, if any, of the Council, satisfied that the Council has made a wilful default in the performance of any of its functions and duties under this Act, it may, by notification, supersede the Council for such period as may be specified, and shall make such arrangements for the performance of the functions and duties of the Council, during the period of supersession, as it may deem fit."

Repeal and savings.

4. (1) The Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1976 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Amendment) Ordinance, 1975, by the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 35 सा0 (विधा0)—1976—650 (सं०) 1